भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रू. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
राजस्थान RAJASTHAN
AK 619326

सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरोही
बईजलास श्री गोपाल परिहार ,आर.ए.एस

फाईनल डिक्री

वादी

कुईयाराम पुत्र प्रभुजी जाति मेघवाल
उम्र 47 साल पेशा खेती निवासी वाण
तहसील शिवगंज जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीग

1– शान्ति पत्नि सीताराम जाति मेघवाल
2– लीलाराम पुत्र दलाराम जाति मेघवाल
सभी आयु व्यस्क निवासी माकरोडा
तहसील सिरोही जिला सिरोही
3– स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

---

राजस्व वाद सं3 / 2017

उक्त प्रकरण मे इस न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के तहत राजस्व अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत माकरोडा मे दिनांक 19–5–2017 को इस न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19–5–2017 पालना मे तहसीलदार, सिरोही ने जरिये पत्रांक राजस्व / केम्प 274 दिनांक 22–6–2018 के संलग्न वांछित बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस पेश किया । विचारण प्रकरण मे न्यायालय द्वारा दिनांक 27–3–2017 को प्रतिवादी संख्या 1 विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश होने तथा दिनांक 19–5–2017 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सीपीसी के प्रावधानो के तहत जवाबदावा पेश नही करने से न्यायालय द्वारा जवाबदावा बन्द करने का आदेश दिया गया है। आज दिनांक 2–1–2019 को विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान उक्त बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस को वकील वादी को अवलोकन करवाया गया तो वकील

15/01/19
सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

शेषरन्त (पेज नं. 2

वादी ने सहमति जाहिर करते हुये वादग्रस्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस को सही होना स्वीकार किया है उक्त प्राप्त बंटवाड प्रस्ताव पक्षकारान के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तथा रास्ता/मौका सुखाधिकार सभी पक्षकारान को मध्यनजर तथा वादग्रस्त कृषि भूमि अच्छी मेसे अच्छी तथा बुरी मेसे बुरी पक्षकारान के बीच उनके हक हिस्से अनुसार बंटवाड करने से उक्त बंटवाड प्रस्ताच विधिवत सही होने से न्यायालय द्वारा उक्त बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस को स्वीकार किया गया है।

उक्त बंटवाड प्रस्ताव अनुसार मौजा माकरोडा पटवार हलका माकरोडा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 286 के खसरा नंबर 523 रकबा 1.1900 हेक्टेयर लगान 9.52 पैं.. की उक्त संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त कृषि आराजी .का विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है :–

| क्र.सं. | नाम खातेदार | खसरानंबर | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1– | शान्ति पत्नि सीताराम<br>लीलाराम पुत्र दलाराम जाति भांबी सा.देह खातेदार रहन लीलाराम का हिस्सा आर.एम.जी.बी. शाखा सिरोही के पक्ष मे | एन+2<br>523 | 0.60 | नहरी 2 | 4.80 |
| 2– | कुईयाराम पुत्र प्रभुजी जाति मेघवाल सा. वाण तहसील शिवगंज खातेदार | एन+1<br>523 | 0.59 | नहरी 2 | 4.72 |

अतः उपरोक्तानुसार कृषि भूमि का विभाजन पक्षकारान के मध्य किया जाकर बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा अनुमोदित किया जाता है। तहसीलदार/सिरोही को उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात/अमल दरामद करने आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 18–5–2017 को फाईनल डिक्री मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व इस न्यायालय की गोल मुहर से नोन ज्युडिशियल स्टाम्प रूपये 100/–एक तथा एक टाईप पेपर पर कम्प्युटर टाईप कर अवलोकन के बाद हस्ताक्षर जारी की गई।

15/1

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)